

पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भरने की चरण ॥ प्रक्रिया

STEP 1

- बुनियादी जानकारी आवेदन प्रसंस्करण शुल्क रुपये 5000/- के विवरण के साथ (सरकारी श्रेणी के अंतर्गत) फॉर्म में जानकारी भरे

STEP 2

- (प्रस्तावित केंद्र विवरण) और अन्य प्रासंगिक विवरण की जानकारी दें।

STEP 3

- दस्तावेज़ अपलोड करें जैसे, निगमन प्रमाणपत्र, पैन कार्ड, सरकार द्वारा नामांकित एजेंसी दस्तावेज़ और पिछले 2 वर्षों के लिए आईटीआर, 6 महीने का बैंक विवरण, जीएसटी पंजीकरण।

STEP 4

- भरे हुए आवेदन की समीक्षा करें और अंतिम सबमिट बटन पर क्लिक करें

STEP 5

- इसके बाद, आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट कर दिया गया है, और इसकी पुष्टि आवेदक के पंजीकृत ईमेल आईडी पर साझा की जाएगी।

पीएमबीआई द्वारा सहायता:

- पैक्स कर्मचारियों/स्टाफ को जन औषधि केंद्रों के संचालन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना (पीओएस ट्यूटोरियल)
- पैक्स आवेदकों को राज्यवार प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण का शेड्यूल पीएमबीआई पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाता है।

जन औषधि केंद्र के लिए समर्पित मोबाइल ऐप



जन औषधि मित्र एजेंटों को सुविधा प्रदान करना



ग्राहक सेवा सुविधा:

पीएमबीआई के पास समर्पित ग्राहक सेवा सुविधा है, जिसका लाभ सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9.30 बजे से शाम 6 बजे तक टोल फ्री नंबर: 1800-180-8080 पर लिया जा सकता है।

पीएमबीआई का पता :

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
भारतीय औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो
(पीएमबीआई)- बी-500, बी-टॉवर, 5वीं मंजिल, नौरोजी नगर, विश्व व्यापार केंद्र, नई दिल्ली -110029

नोट: यह दस्तावेज़ केवल एक व्यापक सारांश प्रदान करता है। कृपया पूर्ण विवरण और विस्तृत आवेदन प्रक्रियाओं के लिए पीएमबीआई की आधिकारिक वेबसाइट देखें।



स्त्रोत : पीएमबीआई

हमसे संपर्क करें

पता:
सहकारी संस्थाओं हेतु व्यावसायिक उत्कृष्टता केंद्र (सी-पेक),
बर्ड,
सेक्टर-एच, एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ - 226
012, भारत
फोन: +91-522-2421799 (सी-पेक)
ई-मेल: cpec.bird@nabard.org

प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) द्वारा "प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र" की स्थापना



सहकारी संस्थाओं हेतु व्यावसायिक उत्कृष्टता केंद्र (सी-पेक), बर्ड, लखनऊ द्वारा संकलित



ग्रामीण स्तर पर जेनेरिक दवाओं तक पहुंच के लिए पैक्स द्वारा जन औषधि केंद्र की स्थापना

सहकारिता मंत्रालय के एक प्रमुख पहल के तहत भारत सरकार ने ग्रामीण स्तर पर जेनेरिक दवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए पैक्स को जन औषधि केंद्र स्थापित करने की अनुमति दी है। इस पहल से गाँव/ब्लॉक स्तर पर आम लोगों को सस्ती जेनेरिक दवाएँ उपलब्ध होंगी और पैक्स को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) को मजबूत करके, सरकार और हितधारकों का लक्ष्य कृषि की समग्र स्थिति में सुधार करना, ग्रामीण समुदायों का उत्थान करना और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

31. 03. 2024 तक की विशेषताएँ

- * 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से 4,692 पैक्स ने जन औषधि केंद्र के लिए आवेदन किया है
- * 2,648 पैक्स को प्रारंभिक स्वीकृति
- * 617 को राज्य औषधि नियंत्रकों से औषधि लाइसेंस प्राप्त हुआ है

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के रूप में पैक्स क्यों?

- पैक्स का ग्रामीण भारत के साथ व्यापक जमीनी जुड़ाव है।
- ग्रामीणों और ग्रामीण लोगों का विश्वास।
- गांवों में सस्ती दवाओं की उपलब्धता और पहुंच।
- किसान या सदस्य दवाइयां उधार पर खरीद सकते हैं, क्योंकि उनका पैक्स में खाता है।
- पैक्स को 20% मार्जिन - आय का स्रोत।

कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी:

भारतीय फार्मास्यूटिकल्स एवं
चिकित्सा उपकरण
ब्यूरो (पीएमबीआई)
वैबसाइट
<http://janaushadi.gov.in>



जन औषधि केंद्र स्थापित करने के लिए पैक्स हेतु पात्रता मानदंड

पात्रता मानदंड

- स्थान -120 फीट (स्वामित्व/किराए पर/लीज पर)
- फार्मासिस्ट-बी.फार्मा/डी.फार्मा को नियुक्त करें
- आवेदन शुल्क रु. 5,000/-
- आवेदक का वैध पहचान प्रमाण

पैक्स के लिए अन्य मानदंड

- पीएमबीआई के साथ समझौता करना
- राज्य सरकार से दवा लाइसेंस प्राप्त करना
- परिसर का उपयोग जन औषधि केंद्र के लिए किया जाना चाहिए
- बिलिंग पीएमबीआई सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी
- अग्रिम भुगतान पर आपूर्ति की जाएगी

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की दूरगामी नीति

- न्यूनतम दूरी - 2 केंद्रों के बीच 1 किमी
 - अस्पतालों के आसपास के 500 मीटर तक कोई प्रतिबंध नीति नहीं
- ((जैसा कि 16.11.2023 को आयोजित पीएमबीआई की 45वीं बैठक में गवर्निंग काउंसिल द्वारा संशोधित किया गया है))

जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन कैसे करें

उपरोक्त योजना के लिए पीएसएस <http://janaushadi.gov.in> के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें दो चरण शामिल हैं:

- * चरण I- पंजीकरण
- * चरण II- पंजीकृत USERID और पासवर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन करें। स्रोत: **pmbi आधिकारिक साइट**

चरण I- पंजीकरण प्रक्रिया

वेबसाइट खोलें: <http://janaushadi.gov.in>

'केंद्र के लिए आवेदन करें' टैब पर क्लिक करें

'आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें' टैब पर क्लिक करें

अभी पंजीकरण करें' टैब पर क्लिक करें और मोबाइल नंबर के साथ आवेदक का विवरण एवं ईमेल आईडी भरें

सफल पंजीकरण के बाद, आवेदक को पोर्टल लॉगिन के लिए 'यूजर आईडी और पासवर्ड' वाला एक ईमेल मिलेगा

पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से प्राप्त/बनाए गए यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें

आवेदन प्रसंस्करण शुल्क राशि केवल बैंक ऑफ बड़ौदा में पीएमबीआई के वर्चुअल खाता संख्या BPPIZCL07PAF0001 में जमा की जानी चाहिए।

आवेदन पत्र को सावधानीपूर्वक भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें जैसे निगमन का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, सरकार द्वारा नामित एजेंसी के दस्तावेज़ और पिछले 2 वर्षों का आईटीआर।

भरे हुए आवेदन की समीक्षा करें और अंतिम सबमिट बटन पर क्लिक करें